समक्ष माननीय अशोक भान और के. एस. कुमारन, न्यायमूर्ति

मांगेराम- याचिकाकर्ता।

बनाम

वित्तीय आयोग और सरकार के सचिव अन्य,-उत्तरदाता।

1996 का सी. डब्ल्यू. पी. 14178

20 फरवरी, 1997

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226/227—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994- धारा 51 (1) (ए)-सरपंच का निलंबन- आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण निलंबन-निलंबन से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया-असमर्थनीय नोटिस-सरपंच को निलंबन के तहत रखने से पहले अवसर देने की आवश्यकता-केवल आपराधिक मामला दर्ज करना पर्याप्त नहीं है-खुद को संतुष्ट करने का अधिकार कि लगाए गए आरोप से आरोपी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदगी होगी-अधिकारियों को सचेत दिमाग लगाने और ऐसी राय बनाने के लिए।

अभिनिर्धारित है कि अधिनियम की खंड 51 (1) को पढ़ने से पता चलता है कि सरपंच के निलंबन के संबंध में कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित उपायुक्त की आवश्यकता होती है,उसकी राय बनाने के लिए कि सरपंच के खिलाफ लगाए गए आरोप या की गई कार्यवाही से उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है।संलग्नक पी 4 के आदेश में उपायुक्त द्वारा ऐसी कोई राय नहीं बनाई गई है और आदेश को यांत्रिक रूप से पारित किया गया है।याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के अलावा कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है।आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है।इस बारे में उल्लेख नहीं किया गया है कि सरपंच के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मामला दर्ज करने का क्या प्रभाव पड़ता है।उपायुक्त खंड 51 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसे प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का पालन करना होगा और संबंधित व्यक्ति को समझाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना होगा।यदि संबंधित व्यक्ति को अवसर दिया जाता है तो वह प्राधिकरण को संतुष्ट कर सकता है कि आपराधिक अपराध का आरोप, जो पूछताछ या मुकदमे का विषय है, न तो नैतिक पतन या चरित्र के अपमान के बराबर है और न ही किसी भी तरह से पंच के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उसे शर्मिंदा करने की संभावना है।यह नैतिक अधमता या चरित्र के दोष या शर्मिंदगी को शामिल करने के संबंध में मन के किसी भी सचेत अनुप्रयोग को नहीं दर्शाता है जो सरपंच के रूप में कार्य के निर्वहन में हो सकता है।हम कश्मीरी लाल बनाम उपायुक्त, सोनीपत और अन्य, ए. आई. आर. 1980 पंजाब और हरियाणा 209 में पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि याचिकाकर्ता को प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए अपना बचाव करने का उचित अवसर दिए

बिना आक्षेपित आदेश संलग्नक पी-4 और पी-6 पारित किए गए हैं, उन्हें दरकिनार करने का आदेश दिया जाता है।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जी. पी. सिंह

हरिपाल वर्मा, डी. ए. जी., हरियाणा, प्रतिवादी-राज्य के लिए।

फैसला

अशोक भान, न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता जो ग्राम पंचायत ग्राम खापर ब्लॉक उचाना जिला जींद के पंच हैं, ने यह याचिका 9 जुलाई, 1996 के आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी/4 को रद्द करने के लिए सर्टियोरारी की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए दायर की है, जिसमें उन्हें 19 अगस्त, 1996 के निलंबन और आदेश के तहत रखा गया है।

(2) याचिकाकर्ता एक हरिजन है और खापर गाँव के पंच के रूप में चुना गया था क्योंकि इस गाँव के पंच का हिस्सा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित था।ऐसा है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव 27 अप्रैल, 1996 को हुए थे। याचिकाकर्ता ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया, जबकि गाँव के पूर्व सरपंच गाजा सिंह ने चौधरी वीरेंद्र सिंह का समर्थन किया, जिन्हें बाद में विधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया। 29 अप्रैल, 1996 को याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323/325/148 149/506 के तहत एफ. आई. आर. संख्या 121 दर्ज किया गया था।पुलिस की कार्रवाई से नाराज याचिकाकर्ता ने 3 मई 1996 को उपायुक्त जींद से संपर्क किया। उन्होंने मामले की जांच की मांग की ताकि असली दोषी को दंडित किया जा सके।एक अन्य आवेदन पुलिस अधीक्षक, जींद को संबोधित किया गया था।

(3) डिप्टी कमिश्नर, जींद ने याचिकाकर्ता को यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि याचिकाकर्ता को सरपंच के रूप में बने रहना जनहित में नहीं है।निलंबन के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की जिसे वित्तीय आयुक्त और सरकारी विकास और पंचायत विभाग, हरियाणा के सचिव ने 19 अगस्त, 1996 (अनुलग्नक पी8) को खारिज कर दिया।याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी4 और पी6 को इन आधारों पर चुनौती दी हैः—

(i) (i) वे चौधरी वीरेंद्र सिंह एम. एल. ए. के कहने पर दुर्भावना से पारित किए गए हैं क्योंकि याचिकाकर्ता ने विधानसभा चुनावों में चौधरी वीरेंद्र सिंह का विरोध किया था।; और

(ii) कि विवादित आदेश प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए नोटिस जारी किए बिना और सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किए गए थे।

(4) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से लिखित बयान दायर किया गया है।च. विरेन्द्र सिंह प्रतिवादी संख्या 3 को सूचित नहीं किया गया है और प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 3 का नाम पक्षों के ज्ञापन से हटा दिया जाए।इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 को पक्षों के ज्ञापन से हटाने का आदेश दिया जाता है।

(5) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किए गए हैं; बिना नोटिस जारी किए और सुनवाई का अवसर दिए।यह आग्रह किया गया था कि याचिकाकर्ता को अधिनियम की खंड 51 (1) (ए) के तहत निलंबन का आदेश पारित करने से पहले कारणदर्शक नोटिस दिया जाना चाहिए था और याचिकाकर्ता को सुने बिना निलंबन का विवादित आदेश पारित किया जाना अमान्य था और इसलिए, रद्द किया जा सकता है।इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने कश्मीरी लाई बनाम उपायुक्त, सोनीपत और अन्य मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

(6) प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को निलंबन के तहत रखने से पहले उसे कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

(7) कश्मीरी लाई के मामले (ऊपर) में पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की खंड 102 (1) (नई) (1953 का 4) पर विचार करते हुए पूर्ण पीठ के उनके अधिकार हरियाणा राज्य पर लागू होते हैं जो अधिनियम की खंड 5 (1) (1) के साथ पैरा मैटेरिया है, जो निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः—

> "इसलिए, हम सुरेश चंद के मामले (उपरोक्त) में खण्ड पीठ द्वारा लिए गए विचार को मंजूरी देते हैं और मानते हैं कि अधिनियम की संशोधित खंड 102 (1) के तहत पंच या सरपंच के खिलाफ निलंबन का आदेश पारित करने से पहले, उक्त पंच या सरपंच को सुनवाई या नोटिस का अवसर दिया जाना चाहिए।इसलिए हम 1979 की इन दो रिट याचिकाओं संख्या 94 और 422 को स्वीकार करते हैं।"

(8) तुलनात्मक अध्ययन के लिए, अधिनियम की खंड 51 (1) और (2) और पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (1953 का अधिनियम 4) की खंड 102 (1) (नई) जो हरियाणा पर लागू होती है, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः—

एक सरपंच, उप-सरपंच या पंच का निलंबन और निष्कासन।

(1) निदेशक या संबंधित उपायुक्त ऐसा कर सकते हैं।किसी भी सरपंचा, उप-सरपंचा या पंच को निलंबित करें।जैसा कि मामला हो सकता हैः—

(a) जहां उसके खिलाफ किसी आपराधिक अपराध के संबंध में कोई मामला जांच, जांच या मुकदमे के तहत है, यदि निदेशक या उपायुक्तों की राय जो उनके खिलाफ लगाए गए आरोप या की गई कार्यवाही से संबंधित है, उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा करने की संभावना है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है;

(b) जांच के दौरान किसी भी कारण के लिए, जिसके लिए उसे हटाया जा सकता है, उसे समझाने का पर्याप्त अवसर देने के बाद।

(2) जैसा भी मामला हो, कोई भी सरपंच, उप-सरपंच या पंच उप-धारा (1) के तहत निलंबित अपने निलंबन की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य या कार्यवाही में भाग नहीं लेगा और अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, धन या कोई अन्य संपत्ति सौंप देगाः—

(i) यदि वह एक सरपंचा है तो उप-सरपंचा को;

(ii) यदि वह एक उप-सरपंचा या पंच है तो सरपंचा को;

(iii) यदि दोनों सरपंचा और उप-सरपंचा को निलंबित कर दिया जाता है तो ग्राम पंचायत में बहुमत का नेतृत्व करने वाले पंच को:

बशर्ते कि किसी पंच, उप-सरपंच या सरपंच की निलंबन अवधि, जैसा भी मामला हो, निलंबन आदेश जारी करने की तारीख से छह महीने से अधिक नहीं होगी, सिवाय नैतिक अधमता वाले आपराधिक मामलों के।"

"102. निलंबन और पंचों को हटाना-(1) निदेशक किसी भी पंच को निलंबित कर सकता है जहां किसी आपराधिक अपराध के संबंध में उसके खिलाफ मामला जांच, जांच या मुकदमे के तहत है, यदि निदेशक की राय में, उसके खिलाफ लगाया गया आरोप या कार्यवाही उसके कर्तव्यों के निर्वहन में है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है।

(1-क) निदेशक या उपायुक्त, पूछताछ के दौरान, किसी भी कारण से पंच को निलंबित कर सकता है जिसके लिए उसे हटाया जा सकता हैः

(1-बी) इस खंड के तहत निलंबित पंच निलंबन की अवधि के दौरान पंचायत के किसी भी कार्य या कार्यवाही में भाग नहीं लेगा और पंचायत के रिकॉर्ड, धन या अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में किसी अन्य संपत्ति को पंचायत में पंच-समन्वयकारी बहुमत द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सौंप देगा।"

(9) कश्मीरी लाई के मामले (उपर्युक्त) में पीठ ने सुरेश चंद और अन्य बनाम पंचायत निदेशक हरियाणा और अन्य के मामले में लिए गए विचार को मंजूरी दी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 102 (1) (नया) के अधीन आदेश एक अर्ध न्यायिक आदेश और कारण बताओ नोटिस होगा और पंच या पंच को निलंबन के अधीन रखने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था, जहां किसी आपराधिक जांच, जांच या मुकदमे के संबंध में उसके विरुद्ध मामला लंबित है, जिससे उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना थी या जिसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है। केवल आपराधिक मामला दर्ज होने पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा निलंबन का आदेश स्वचालित रूप से पारित नहीं किया जाना है। प्राधिकरण को आरोप और आरोप की प्रकृति पर अपना दिमाग लगाना होगा और फिर खुद को संतुष्ट करना

होगा कि क्या यह एक प्रकार का है जो उस आरोप के आरोपी व्यक्ति को पंच/पंच के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में शर्मिंदा कर सकता है या इसमें पतन या चरित्र का दोष शामिल है। यह देखा गया कि जांच, जांच या मुकदमे के तहत सभी आपराधिक अपराध अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पंच को शर्मिंदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल नहीं हो सकता है। यह उदाहरण लेकर स्पष्ट किया गया था कि धारा 304-ए, 323,326 आदि के तहत आरोप। भारतीय दंड संहिता की धारा में कोई नैतिक अधमता शामिल नहीं हो सकती है और वे किसी भी पंच को अपने कार्यों के निर्वहन में कोई शर्मिंदगी पैदा नहीं कर सकते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निदेशक को अपने सचेत मन को आरोप और आरोप की प्रकृति पर लागू करना होगा और फिर खुद को संतुष्ट करना होगा कि क्या यह एक प्रकार का है जो पंच के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में उस आरोप के आरोपी व्यक्ति को शर्मिंदा कर सकता है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है। संबंधित प्राधिकारी को उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री का गंभीर रूप से विश्लेषण करना होगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आपराधिक मामले की लंबितता, जिसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है, पंच या पंच को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा करने की संभावना है। संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार के निष्कर्ष पर तभी पहुँचा जा सकता है जब वह अपने चेतन मन को लागू करता है और वस्तुनिष्ठ रूप से संतुष्ट होता है कि स्थिति तब नोटिस और सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता थी।

(10) आदेश संलग्नक पी4 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः—

"श्री मांगे राम, सरपंच, गाँव खापरा, ब्लॉक उचाना को 29 अप्रैल, 1996 को पी. एस. उचाना में मामले संख्या 121 यू/एस 323/506/148 149, आई. पी. सी. में गिरफ्तार किया गया है।इसलिए यह सरपंच अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है।इसलिए, यह लोकहित में नहीं है कि उनका सरपंचा के पद पर होना।

(11) इसके अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को इस आधार पर निलंबित कर दिया गया है कि उसे 29 अप्रैल, 1996 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जैसे कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए, उसे सरपंच के पद पर बने रहने की अनुमति देना जनहित में नहीं है।अधिनियम की खंड 51 (1) को पढ़ने से पता चलता है कि सरपंच के निलंबन के संबंध में कोई भी कार्रवाई करने से पहले, संबंधित उपायुक्त को अपनी राय बनाने की आवश्यकता होती है कि सरपंच के खिलाफ लगाए गए आरोप या की गई कार्यवाही से उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा होने की संभावना है या इसमें नैतिक अधमता या चरित्र का दोष शामिल है।आदेश संलग्नक पी4 में, उपायुक्त द्वारा ऐसी कोई राय नहीं बनाई गई है और आदेश को यंत्रवत रूप से पारित किया गया है।याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के अलावा कोई अन्य कारण नहीं दिया गया है।आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है।इस बारे में उल्लेख नहीं किया गया है कि सरपंच के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मामला दर्ज करने का क्या प्रभाव पड़ता है।उपायुक्त खंड 51 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसे

प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों का पालन करना होगा और संबंधित व्यक्ति को समझाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना होगा।यदि संबंधित व्यक्ति को अवसर दिया जाता है तो वह प्राधिकरण को संतुष्ट कर सकता है कि आपराधिक अपराध का आरोप जो जांच या मुकदमे का विषय है, न तो नैतिक पतन या चरित्र के दोष के बराबर है और न ही किसी भी तरह से उसे पंच के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शर्मिंदा करने की संभावना है। यह नैतिक अधमता या चरित्र के दोष या शर्मिंदगी को शामिल करने के संबंध में मन के किसी भी सचेत अनुप्रयोग को नहीं दर्शाता है जो पंच के रूप में कार्य के निर्वहन में हो सकता है। हम कश्मीरी लाल के मामले (उपर्युक्त) में पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का सम्मानपूर्वक पालन करते हैं और मानते हैं कि आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी4 और पी6 को याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिए बिना पारित किया गया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, उन्हें दरकिनार करने का आदेश दिया जाता है।

(12) इसके अलावा, अधिनियम की खंड 51 (1) के परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक मामलों को छोड़कर, निलंबन आदेश जारी करने की तारीख से छह महीने से अधिक नहीं होगा।ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में नैतिक अधमता शामिल है।चूंकि छह महीने की अवधि पहले ही बीत चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ता को सरपंच के रूप में बहाल किया जा सकता है।

(13) ऊपर बताए गए कारणों से, इस याचिका की अनुमति दी जाती है, आदेश अनुलग्नक पी-4 और पी-6 को रद्द कर दिया जाता है।प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता को अप्रचलित कार्यकाल के लिए ग्राम पंचायत खापर के सरपंच के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है।कोई लागत नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा

जे एस टी।